डिस्कलेमर

आदेश संख्या 22/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- VIII (खंड फाइल)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 22/2022-23

ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 20 सितम्बर, 2022

विषय : मौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2023 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

यह निम्नलिखित प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में नीचे दी गई तालिका के अनुसार 30.09.2022 के बाद भी मौजूदा टैरिफ वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था जारी रखने के संबंध में है :

तालिका –I

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
01	अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल)	अहमदाबाद
02	लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल)	लखनऊ
03	मंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल)	मंगलुरू
04	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	जयपुर
05	गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	गुवाहाटी
06	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीकेआईएएल)	त्रिवेन्द्रम
07	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	श्रीनगर*

* आदेश संख्या 14/2017-18 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 31.03.2021 को लागू टैरिफ दरें अंतरिम व्यवस्था के तौर पर 31.03.2023 तक लागू रहेंगी।

(i) प्राधिकरण को अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरू और श्रीनगर हवाईअड्डों के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्राप्त हो चुका है और टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया अभी जारी है।

(ii) अन्य प्रमुख हवाईअड्डों, अर्थात, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेन्द्रम के संबंध में बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

(iii) यह ध्यान में रखते हुए कि टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि 30.09.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ की अवधि 01.10.2022 से 31.03.2023 तक अगले छ: (06) माह तक या संगत नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी जाए।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) **हवाईअड्डा प्रचालकों (उपर्युक्त तालिका-I में सूचीबद्ध)** को 30.09.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ अंतरिम आधार पर 01.10.2022 से 31.03.2023 तक अगले छ: (06) माह तक या उनकी संगत नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) तालिका–I के अनुसार क्रम सं. 4, 5 और 6 में उल्लिखित हवाईअड्डा प्रचालक तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटीपी ऐरा के विनियामक दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार और एएआई के साथ किए गए रियायत करार में विनिर्दिष्ट समय–सीमाओं के अनुसार समय पर प्रस्तुत करेंगे।

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

(i) अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

(ii) श्री मनोज चांदुका, उपाध्यक्ष (विनियामक मामले)
अदानी कॉरपोरेट हाऊस,
शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास, एस. जी. हाइवे,
खोडियार, अहमदाबाद -382421, गुजरात, भारत

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
(ii) नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए